

इंदिरा गॉधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर म.प्र.

(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)

शासी निकाय की 18वीं बैठक का कार्यवाही विवरण
(मिनिट्स)

दिनांक - 05 जून 2018
अपरान्ह 02:00 बजे से

स्थान - कक्ष क्रमांक 520, मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल (म0प्र0)

इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर
शासी निकाय की 18वीं बैठक

अनुक्रमणिका

क्र०	विवरण	पेज
1	माननीय सदस्यों की सूची	1
2	प्रस्ताव क्रमांक 18.1 17वीं बैठक के मिनिट्स का CONFIRMATION	2-7
3	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये स्वशासी मदों से प्राप्त वास्तविक आय की राशि का विवरण	8
4	वित्तीय वर्ष 2017-18 की वास्तविक आय का विवरण	9
5	वित्तीय वर्ष 2017-18 के वास्तविक आवंटित राशि का मदवार विवरण	10
6	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये स्वशासी मदों से प्राप्त अनुमानित आय की राशि का विवरण	11
7	वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुमानित आय के बजट का प्रस्ताव	12
8	वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुमानित व्यय का मदवार प्रस्ताव	13
9	वर्ष 2018-19 के प्रस्ताव	14-20
10	Annexure-I	21
11	Annexure-II	22-29
12	Annexure-III	30-31
13	Annexure-IV	32-55
14	Annexure-V	56-66
15	Annexure-VI	67-74
16	Annexure-VII	75-82
17	Annexure-VIII	83-84
18	Annexure-IX	85-115
19	Annexure-X	116-127
20	Annexure-XI	128
21	Annexure-XII	129
22	Annexure-XIII	130-134
23	Annexure-XIV	135-140
24	Annexure-XV	141
25	Annexure-XVI	142-171
26	Annexure-XVII	172-174
27	Annexure-X (A)	175-186
28	Annexure-XI (A)	187-188
29	Annexure-XI (B)	189-200
30	Annexure-XI (C)	201-207

इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर, म.प्र.
शासी निकाय की 18वीं बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 05 जून 2018

दिनांक 05 जून 2018 को इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर, (म.प्र.) की शासी निकाय की 18वीं बैठक माननीय श्री दीपक जोशी जी मंत्री मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग भोपाल तथा अध्यक्ष शासी निकाय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर की अध्यक्षता में मंत्रालय वल्लभ भवन के कक्ष क्रमांक 520 में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया।

1. माननीय श्री दीपक जोशी जी अध्यक्ष
मंत्री जी,
मध्यप्रदेश शासन.
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग भोपाल (म.प्र.)
2. डॉ. सुनील कुमार गुप्ता सदस्य
कुलपति
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल, म.प्र.
3. प्रो. टी.के. श्रीवास्तव सदस्य
प्रभारी संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय भोपाल (म.प्र.)
4. प्रो. वाय.के. अग्रवाल सदस्य
संयुक्त संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय भोपाल (म.प्र.)
5. डॉ. एच.के. मिश्रा सदस्य
प्राध्यापक सिविल इंजी.
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर (म.प्र.)
6. डॉ. अनुराग त्रिवेदी सदस्य
प्राध्यापक, इलेक्ट्रिकल इंजी.
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर (म.प्र.)
7. प्रो. एम.आर.अहिरवार सदस्य
सह-प्राध्यापक (इलेक्ट्रॉनिक्स एन्ड कम्प्यूनीकेशन इंजी.)
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर (म.प्र.)
8. प्रो. राजेन्द्र प्रसाद सदस्य
सहायक प्राध्यापक (इलेक्ट्रिकल इंजी.)
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर (म.प्र.)
9. डॉ. एन.एल. प्रजापति सदस्य/ सचिव
प्राचार्य
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

सर्वप्रथम प्राचार्य/सदस्य सचिव, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर ने माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची के सभी मुद्दों पर विधिवत चर्चा की गयी जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिये गये ।

इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर शासी निकाय की 18वीं बैठक
18.1 सत्रहवीं बैठक के मिनिट्स माननीय सदस्यों के द्वारा Confirmation हेतु प्रस्तुत है।
(Memorandum of Association के Regulation क्रमांक 26 के अनुसार)


कार्यवाही विवरण:- अवलोकन किया गया।

18.2 शासी निकाय की सत्रहवीं बैठक में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव, प्राप्त अनुमोदन एवं उनके पालन प्रतिवेदन का विवरण:-

दिनांक 23 अगस्त 2017 को इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर, म.प्र.शासी निकाय की सत्रहवीं बैठक माननीय श्री दीपक जोशी जी मंत्री मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, एवं कौशल विकास विभाग भोपाल तथा अध्यक्ष शासी निकाय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर की अध्यक्षता में इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर के चेयरमैन कक्ष में सम्पन्न हुई थी । शासी निकाय की सत्रहवीं बैठक की कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

प्रस्ताव क्रमांक	प्रस्ताव	अनुमोदन	पालन प्रतिवेदन
17.4.1	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रस्तुत आडिट स्टेटमेंट का अनुमोदन :- संस्था के वर्ष 2016-2017 के वास्तविक आय-व्यय की आडिट रिपोर्ट माननीय सदस्यों के समक्ष (Annexure-1) अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है	माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने वर्ष 2016-17 की आडिट रिपोर्ट के Annexure-1 पर चर्चा कर आडिट रिपोर्ट को मान्य किया एवं निर्देशित किया कि प्रत्येक तीन साल में चार्टर्ड एकाउंटेंट बदले ।	कार्य पूर्ण
17.4.2	स्वशासी निकाय के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का अनुमोदन :- स्वशासी निकाय के अंतर्गत नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को म.प्र.शासन के परिपत्र क्रमांक केएफ 11/एक/2017/2016/नियम/4भोपाल दिनांक 09-01-2017 के निर्देशानुसार समयमान स्वीकृति करने के निर्देश हैं। शासन के निर्देशानुसार संस्था के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को शासन के निर्देशानुसार समिति गठित कर उनकी अनुशंसानुसार समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं कार्यात्तर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (Annexure-2)	माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया ।	कार्यवाही पूर्ण ।










17.4.3	स्वशासी निकाय में नियम 2004 के तहत नियुक्त सहायक प्राध्यापक को स्टेज-3 वेतनमान स्वीकृति का प्रस्ताव :- संस्था के स्वशासी निकाय में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को समिति गठित कर स्टेज-2 बी. ओ.जी.से अनुशांसा उपरांत स्वीकृत किया जा चुका है एवं स्टेज-3 वेतनमान (ए.जी.पी. रू0 7000/- से रू0 8000/-) माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया।	कार्यवाही चल रही है।
17.4.4	कन्या छात्रावास में बायोगैस प्लांट की स्थापना :- म.प्र.शासन की मशानुसार छात्राओं को तकनीकी शिक्षा में अधिक सहभागिता हेतु कन्या छात्रावास में बंद पड़े बायोगैस प्लांट को सुधार करारकर चालू कराया जाना है उक्त कार्य में प्रतिमाह रू0 4000/- की राशि व्यय होना है उपरोक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त राशि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया एवं निर्देशित किया कि उक्त कार्य में पंचायत एवं ग्रामीण विभाग को पत्र लिखे तथा ग्रामीणों को भी शामिल कर कौशल विकास योजनांतर्गत ट्रेनिंग भी देवे।	कार्य पूर्ण
17.4.5	बालक छात्रावास में बायोगैस प्लांट की स्थापना :- कन्या छात्रावास में स्थापित किये गये बायोगैस प्लांट की सफलता के कारण बालक छात्रावास के छात्रों की मांग पर बालक छात्रावास में भी बायोगैस प्लांट स्थापित करने हेतु रू0 150000/- की स्थापन राशि एवं संचालन हेतु राशि रू0 4000/- प्रतिमाह का व्यय प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया एवं निर्देशित किया कि उक्त कार्य में पंचायत एवं ग्रामीण विभाग को पत्र लिखे तथा ग्रामीणों को भी शामिल कर कौशल विकास योजनांतर्गत ट्रेनिंग भी देवे।	कार्य अपूर्ण
17.4.6	शासी निकाय के अंतर्गत सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का प्रस्ताव :- इस संस्था में रिक्त सहायक प्राध्यापकों का चयन संचालनालय स्तर पर गठित समिति के माध्यम से किया गया था। संचालक तकनीकी शिक्षा म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक 2/राज/बी/2016/915/दिनांक 16-06-2016 के निर्देशानुसार चयनित 08 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किये गये थे, जिसमें कु.पूर्वी जैन इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। पूर्वी जैन के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से कु.रितु गुप्ता का नाम संचालनालय से प्राप्त हुआ। अतः कार्यालय के आदेश क्रमांक/स्था/2016/1796/सागर, दिनांक 30-07-2016 द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में उन्हें नियुक्त किया गया। कु. रितु गुप्ता को सहायक प्राध्यापक की	माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया।	कार्य पूर्ण











	नियुक्ति का अनुमोदन हेतु प्रस्तुत। (Annexure-3)		
17.4.7	संस्था में नव निर्मित दो विभागों की बिल्डिंग में नेट वर्किंग एवं सी.सी.टी.वी. का प्रस्ताव :- संस्था परिसर में नव निर्मित मैकेनिकल विभाग एवं विद्युत विभाग के भवनों का निर्माण लगभग पूर्णता की ओर है। उक्त भवनों में नेट वर्किंग कराया जाना है। उक्त कार्य म.प्र.इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम से कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य में जो राशि व्यय होगी उसे ISD लीज लाइन इंटरनेट मद से व्यय की अनुमति का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया उपरोक्त कार्यवाही के लिए प्रस्ताव संस्था के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से तैयार कराया जावे, छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते हुए उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित करें।	पुनः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत।
17.4.8	TEQIP - III प्लान लेने की स्वीकृति प्रस्ताव :- म. प्र.शासन के निर्देशानुसार संस्था के विकास एवं फेकलटी डेवलपमेंट हेतु TEQIP - III प्लान लेने का प्रस्ताव है। उक्त योजनांतर्गत जो राशि प्राप्त होगी, वह ग्रांट के रूप में संस्था को प्राप्त होगी। NPIU के निर्देशानुसार उक्त ग्रांट का TEQIP - III के नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु संस्था स्तर पर क्रय समिति गठित किए जाने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा में TEQIP के तहत दिये गये दिशा निर्देश एवं म.प्र. शासन एवं भारत सरकार के बीच निष्पादित MOU के संदर्भ में जो निर्देश जारी किये गये थे उससे अवगत कराया गया। (TEQIP -III हेतु संस्था स्तर क्रय समिति आदेश एवं संबंधित पत्र अवलोकनार्थ संलग्न है) उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मान्य किया।	पुनः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत।
17.4.9	सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने का प्रस्ताव :- शासन के निर्देशानुसार संस्था परिसर कार्यस्थल, पार्किंग एवं कक्षाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाया जाना प्रस्तावित है। संस्था परिसर लगभग 220 एकड़ में फैला हुआ है अतः महत्वपूर्ण स्थानों का चयनकर लगभग 200 कैमरे लगाये जाना प्रस्तावित है उक्त कार्य डी.पी.आर. तैयार कराने के लिये कंसल्टेंट नियुक्ति करने की अनुमति एवं डी.पी.आर. अनुसार सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जाने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया उपरोक्त कार्यवाही के लिए प्रस्ताव संस्था के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से तैयार कराया जावे, छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते हुए उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित करें।	पुनः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत।
17.4.10	रजिस्ट्रार की सेवानिवृत्ति के उपरांत शासी निकाय में पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव:- इस संस्था के रजिस्ट्रार श्री व्ही.के.पवार अक्टूबर 2016 में शासकीय सेवा से	माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव अमान्य किया।	प्रस्ताव अमान्य इसलिए कोई कार्यवाही नहीं







सेवानिवृत्त हो गये हैं। सरथा में कार्यालयीन स्टाफ की कमी है। TEQIP - III के तहत कार्य संपादन हेतु कार्य कुशल अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता हैं। इन्होंने शासी निकाय में दो वर्ष की संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

की जानी है।

कार्पस फंड से स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण का प्रस्ताव :- म.प्र.शासन के परिपत्र एफ-1 -16/2016/42 (1) भोपाल, दिनांक 24-09-2016 की कांडिका 3 के निर्देशानुसार संस्था का कार्पस फंड संस्था की वार्षिक आय का 5 गुना से अधिक हो गया है। अतः संस्था में निम्नांकित स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु निम्नानुसार राशि व्यय का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

क्र	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	रिमार्क
1.	छात्र छात्रावास	100.00 लाख	एस्टीमेट प्रस्तुत
2.	कालेज की वाउड्रीवाल का निर्माण (2 कि.मी.)	171.00 लाख	एस्टीमेट प्रस्तुत
3.	ऑन लाईन परीक्षा हॉल (500 सीटर)	100.00 लाख	एस्टीमेट प्रस्तुत
4.	आडिटोरियम निर्माण (750 सीटर)	1120 लाख	एस्टीमेट प्रस्तुत

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया एवं निर्देशित किया गया कि कार्य कराने हेतु टेन्डर प्रक्रिया कर एजेंसी को पेटी कांट्रेक्ट दे कर संस्था स्तर पर मानीटरिंग कर कार्य करावे। उक्त कार्य में छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क देकर नियोजित करें। इनर्जी पार्क में बहुउद्देशीय आन लाइन परीक्षा भवन के साथ ई लायब्रेरी जिम एवं जंकयाड (जिसमें संस्था की अनुपयोगी वस्तुओं का अपलेखन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखा जा सके) का अभिकल्पन एवं निर्माण कारपरस फंड से करें।

पुनः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत

17.4.11


मासिक अनुबंध पर वाहन अनुबंधित करने का प्रस्ताव :- संस्था शहर से 18 कि.मी.की दूरी पर स्थित है। संस्था परिसर में तीन छात्रावासों में लगभग 250 छात्र -छात्राएँ निवासरत हैं। आकस्मिक अप्रिय स्थितियों में संस्था में कोई भी वाहन परिवहन हेतु नहीं है न ही संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को शासकीय दायित्वों के संपादन के लिये वाहन संस्था में उपलब्ध है। संस्था का वर्तमान वाहन (टेम्पो-टेक्स) 2002 माडल की है जो अपनी आयु पूर्ण कर चुका है। वाहन अत्यंत खराब स्थिति में है। वाहन चालक भी वर्ष 2018 में

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया।

पुनः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत

17.4.12



 5



	सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा वर्तमान में उन्होंने हृदय की शल्य चिकित्सा कराई है। ऐसी परिस्थिति में वाहन चलवाये जाना उचित नहीं है। अतः जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित मासिक अनुबंध पर एक टवेरा/इंडिगो/इनोवा वाहन अनुबंधित किये जाने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।		
17.4.13	स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिये CRISP को प्रति छात्र 273 रु0 पोर्टल चार्जस के भुगतान का प्रस्ताव:- BOG की 15 वीं बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 15.4.14 में क्रिस्प से वार्षिक अनुबंध के आधार पर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रस्ताव मान्य किया गया था। इसी तारतम्य में क्रिस्प से अनुबंध किया गया जिसके अनुसार क्रिस्प द्वारा प्रतिछात्र प्रतिवर्ष रु0 273/- (सर्विस चार्ज सहित) लिया जावेगा। उपरोक्त प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया।	पुनः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत।
17.4.14	कंसलटेंसी नियमों का प्रस्ताव:-शासन की मंशानुसार एवं संस्था की घोषित नीति के अनुसार समानता/नवाचार/पारदर्शिता एवं दक्षता संवर्धन की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुये टेस्टिंग, कंसलटेंसी नियमों में टीम भावना विकसित करने हेतु प्राचार्य द्वारा निर्धारित टीम के सदस्यों के मध्य समान वितरण हेतु आशिक संशोधन का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (Annexure-4)	माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया।	कार्य पूर्ण।
17.4.15	शासी निकाय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिये जाने का प्रस्ताव:- मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को 01 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 जुलाई 2017 द्वारा स्वीकृत किया गया है। संस्था में शासी निकाय के अंतर्गत कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उक्त वेतनमान स्वीकृति का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया।	कार्य पूर्ण
17.4.16	संस्था में इलेक्ट्रिक बायरिंग का प्रस्ताव:-यह संस्था इस भवन में 1993 में प्रारंभ हुयी थी, संस्था के भवनों की बायरिंग अत्यंत कंडम स्थिति में पहुंच गयी है, उपरोक्त भवनों की पुनः नये सिर से बायरिंग अति	माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया एवं स्टीमेट मंगा करा	पुनः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत।





	आवश्यक है । उपरोक्त कार्य का अनुमोदन का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	कार्यवाही की जावे ।	
17.4.17	संविदा पर नव नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को गृह भाडा भत्तों का प्रस्ताव:- सेवा भर्ती नियम 2004 के तहत नव नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को वर्तमान में म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11-12/2010/नियम/4 भोपाल दिनांक 1 सितम्बर 2012 की कंडिका 3 (ग) के निर्देशानुसार गृह भाडा भत्ता नहीं दिया जा रहा है । उक्त नव नियुक्त सहायक प्राध्यापकों का संविदा अवधि समाप्त होने पर ही गृह भाडा भत्ता स्वीकृत किया जा रहा है । सहायक प्राध्यापकों की मांग पर संचालक तकनीकी शिक्षा म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार उक्त नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों को संविदा अविधि में गृह भाडा स्वीकृत करने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव का परीक्षण संचालक तकनीकी से कराकर निर्देश देने हेतु निर्णय लिया गया ।	पुनः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत ।
17.4.18	डिजायन सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव:- संस्था में सिविल विभाग के अन्तर्गत डिजाइन सेटर की स्थापना से बुदेलखंड क्षेत्र की विभिन्न परियोजना सहित छात्र-छात्रों को लाभ होगा एवं नये नये साफ्टवेयरों पर कार्य सीखकर छात्र-छात्रों को अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे । उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।	माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने कहा । प्राचार्य ने विस्तार से बताया कि उक्त सेंटर से टेस्टिंग कंसल्टेंसी आदि में मदद होगी एवं डिजाइन चेक करने में मदद होगी उक्त सेटर हेतु राशि का प्रावधान उपकरणों के मद से किया जावेगा । उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मान्य किये ।	पुनः संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत ।
17.4.19	अन्य प्रस्ताव :- माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव	निरंक	निरंक

कार्यवाही विवरण:- प्राचार्य ने उपरोक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया ।


18/11/2





प्राचार्य/सचिव
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर, म.प्र.

18.3 वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये स्वशासी मदों से प्राप्त वास्तविक आय की राशि का विवरण:-

क्रमांक	स्वशासी मदों से प्राप्त राशि	वास्तविक आय रूपये (लाख में)	अनुमानित आय रूपये (लाख में)
(i)	शिक्षण शुल्क	225.00	296.15
(ii)	कन्सलटेन्सी व टेस्टिंग (शुद्ध आय)	25.46	29.89
(iii)	आवेदन शुल्क (Registration fee)	1.61	0.36
(iv)	फार्म की बिक्री	0.00	0.00
(v)	स्थानीय क्रीडा शुल्क	1.21	1.17
(vi)	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र शुल्क	0.00	0.00
(vii)	विविध शुल्क, टी. पी. ओ.	7.81	1.95
(viii)	जुर्माने एवं दण्ड से प्राप्त आय	0.00	0.00
(ix)	अमलगमेटेड निधि	0.00	0.00
(x)	कैन्टीन से प्राप्त आय	0.00	0.00
(xi)	जप्त की गई या गत दो वर्ष में वापिस न ली गई धरोहर राशि	0.00	0.00
	योग	261.09	329.52

वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वाशासी मदों से प्राप्त वास्तविक आय का विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।


कार्यवाही विवरण:- माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यों ने उपरोक्त वास्तविक बजट का अवलोकन पश्चात् अनुमोदन प्रदान किया ।










 प्राचार्य/सचिव
 इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
 सागर, म.प्र.

18.3 वित्तीय वर्ष 2017-18 की वास्तविक आय का विवरण :-

क्रमांक	आय	आडिट के आधार पर वास्तविक आय रूपये (लाख में)	अनुमानित बजट अनुसार आय रूपये (लाख में)
1	स्वशासी मदो से प्राप्त राशि	261.09	329.52
2	कारपस फंड में जमा राशि पर वर्ष 2016-17 के दौरान अर्जित व्याज का 50 प्रतिशत	87.93	87.93
3	कुल योग (1+2)	349.02	417.45
4	कारपस फंड में जमा की जाने वाली राशि (Col. 3 का 10%)	34.90	41.74
5	पिछले वर्ष की बची हुई राशि का 20 प्रतिशत	68.41	68.41
6	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय के लिए उपलब्ध राशि (3-4+5)	382.53	444.12

वित्तीय वर्ष 2016-17 की वास्तविक आय का विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही विवरण:- माननीय सदस्यों ने अवलोकन पश्चात् अनुमोदन प्रदान किया।




प्राचार्य / सचिव
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर, म.प्र.

18.3 (A) वित्तीय वर्ष 2017-18 के वास्तविक आवंटित राशि का मदवार विवरण :-

म.प्र.शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-1-16/16/42(1)/ भोपाल दिनांक 24/09/2016 के अनुसार वर्गीकृत की गयी। (Annexure-I)					
क्रमांक	व्यय के मद	अनुमानित आवंटित राशि (लाख में)	वास्तवि क आवंटित राशि	वास्तविक व्यय की गयी राशि	वास्तविक शेष राशि
A	भवन निर्माण मरम्मत एवं रिफर्विशमेंट (20%)	88.82	76.50	00.59	75.91
B	उपकरणों का क्रय उन्नयन मरम्मत एवं केलीब्रेशन (20%)	88.82	76.50	51.16	25.34
C	स्मार्ट क्लासरूम, लायब्रेरी, फर्नीचर का क्रय एवं मरम्मत (20%)	88.82	76.50	00.59	75.91
D	संस्थागत व्यवस्थायें यथा-सुरक्षा, सफाई, जल, स्वास्थ्य, प्रकाश एवं आडिट (12%)	53.30	45.90	55.59	(-9.69)
E	गेस्ट फेकल्टी / संविदा फेकल्टी, एक्सपर्ट लेक्चर (12%)	53.30	45.90	00.12	45.78
F	शिक्षकों एवं छात्रों के पशिक्षण तथा छात्रों के प्लेसमेंट का व्यय (12%)	53.30	45.90	04.93	40.97
G	आकस्मिक व्यय (4%)	17.76	15.33	15.35	(-)0.02
	योग	444.12	382.53	128.33	263.91
	⊗ (D+G) को अन्य मद (E) से स्थानांतरित कर समायोजित किया गया				(-)9.71
				महायोग	254.20

टीप:- संस्थागत व्यवस्थायें यथा-सुरक्षा, सफाई, जल, स्वास्थ्य, प्रकाश एवं आडिट एवं आकस्मिक व्यय में अतिरिक्त व्यय की गई राशि रु. 9.71 को गेस्ट फेकल्टी/संविदा फेकल्टी एक्सपर्ट लेक्चर व्यय (E) के विरुद्ध व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के वास्तविक व्यय का बजट एवं व्यय हुई राशि का विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही विवरण - माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यों ने उपरोक्त अनुमानित व्यय के बजट का अवलोकन पश्चात् अनुमोदन किया।



प्राचार्य/सचिव
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर, म.प्र.

10

⊗ उपरोक्त समायोजन का प्रस्ताव प्राचार्य द्वारा दिनांक 16/11/18 को प्रस्तुत किया जो कि श्रान्त को स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा जाएगा, श्राफ से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी

18.4 वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये स्वशासी मदों से प्राप्त अनुमानित आय की राशि का विवरण

TABLE - A

क्रमांक	स्वशासी मदों से प्राप्त राशि	रूपये (लाख में)
(i)	शिक्षण शुल्क	230.90
(ii)	कन्सलटेन्सी व टेस्टिंग (शुद्ध आय)	30.00
(iii)	आवेदन शुल्क (Registration fee)	1.60
(iv)	फार्म की विक्री	00.00
(v)	स्थानीय क्रीडा शुल्क	1.20
(vi)	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र शुल्क	00.00
(vii)	विविध शुल्क, टी. पी. ओ.	07.75
(viii)	जुमाने एवं दण्ड से प्राप्त आय	00
(ix)	अमलगमेटेड निधि	00
(x)	कैन्टीन से प्राप्त आय	00
(xi)	जप्त की गई या गत दो वर्ष में वापिस न ली गई धरोहर राशि	00
	योग	270.55

वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

कार्यवाही विवरण – माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यों ने उपरोक्त अनुमानित व्यय के बजट का अवलोकन पश्चात् अनुमोदन किया ।

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
 प्राचार्य / सचिव
 इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
 सागर, म.प्र.

18.4 वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुमानित आय के बजट का प्रस्ताव:-

TABLE - B

क्रमांक	आय	रूपये (लाख में)
1	स्वशासी मदों से प्राप्त राशि	270.55
2	कारपस फंड में जमा राशि पर वर्ष 2017-18 के दौरान अर्जित व्याज का 50 प्रतिशत (वास्तविक आडिट रिपोर्ट के अनुसार)	94.24
3	कुल योग (1+2)	364.79
4	कारपस फंड में जमा की जाने वाली राशि (Col. 3 का 10%)	(-)36.47
5	वर्ष 2017-18 के दौरान बची हुई राशि का 20 प्रतिशत (वास्तविक आडिट रिपोर्ट के अनुसार)	77.63
6	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय के लिए उपलब्ध राशि (3-4+5)	405.95

वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुमानित आय का बजट प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही विवरण - माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यों ने उपरोक्त अनुमानित व्यय के बजट का अवलोकन पश्चात् अनुमोदन किया।




प्राचार्य/सचिव
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर, म.प्र.

18.4 (A) वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुमानित व्यय का मदवार प्रस्ताव :-

TABLE - C

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुमानित व्यय का बजट राशि का विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष

म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के आदेश कं माक/एफ-1-16/16/बयालीस (1)/ भोपाल दिनांक 24/09/2016 के अनुसार (Annexure-I)		
क्रमांक	व्यय के मद	व्यय हेतु अनुमानित राशि (लाख में)
A	भवन निर्माण मरम्मत एवं रिफरिश्मेंट (20%)	81.19
B	उपकरणों का क्रय, उन्नयन, मरम्मत एवं केलीब्रेसन (20%)	81.19
C	स्मार्ट क्लास रूम, लाइब्रेरी, फर्नीचर का क्रय एवं मरम्मत (20%)	81.19
D	संस्थागत व्यवस्थायें यथा- सुरक्षा, सफाई, जल, स्वास्थ्य, प्रकाश, एवं आडिट (12%)	48.71
E	गेस्ट/संविदा फेकल्टी, एक्सपर्ट लेक्चर (12%)	48.71
F	शिक्षको एवं छात्रों के प्रशिक्षण तथा छात्रों के प्लेसमेंट का व्यय (12%)	48.71
G	अन्य आकस्मिक व्यय (4%)	16.25
	योग	405.95

अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

कार्यवाही विवरण - माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यों ने उपरोक्त अनुमानित व्यय के बजट का अवलोकन पश्चात् अनुमोदन किया।

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]
प्राचार्य/सचिव
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर, म.प्र.

18.5 वर्ष 2018-2019 के प्रस्तावों पर लिये गये निर्णय

प्रस्ताव क्रमांक	प्रस्ताव	लिया गया निर्णय
18.5.1	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रस्तुत आडिट स्टेटमेंट का अनुमोदन :- संस्था के वर्ष 2017-2018 के वास्तविक आय-व्यय की आडिट रिपोर्ट माननीय सदस्यों के समक्ष (Annexure-II) अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने वर्ष 2017-18 की आडिट रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया एवं निर्देशित किया गया कि ऑटोनामी का एक छी खाता रखा जाये। शेष बंद किये जायें।
18.5.2	स्वशासी निकाय में नियम 2004 के तहत नियुक्त सहायक प्राध्यापक को स्टेज- 3 वेतनमान स्वीकृति का प्रस्ताव :- संस्था के स्वशासी निकाय में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को समिति गठित कर स्टेज-2 बी.ओ.जी. से अनुशंसा उपरांत स्वीकृत किया जा चुका है एवं स्टेज-3 वेतनमान (ए.जी.पी. रू0 7000/- से रू0 8000/-) स्वीकृत किया जाना है। समिति की अनुशंसा सहित प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (Annexure-III)	अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया।
18.5.3	मासिक अनुबंध पर वाहन अनुवधित करने का प्रस्ताव :- संस्था शहर से 18 कि.मी.की दूरी पर स्थित है। संस्था परिसर में तीन छात्रावासों में लगभग 250 छात्र -छात्राएँ निवासरत हैं। आकस्मिक अप्रिय स्थितियों में संस्था में कोई भी वाहन परिवाहन हेतु नहीं है न ही संस्था के अधिकारियों-कर्मचारियों को शासकीय दायित्वों के संपादन के लिये वाहन संस्था में उपलब्ध है। संस्था का वर्तमान वाहन (टेम्पो-टेक्स) अत्यंत खराब स्थिति में है। वाहन चालक सेवानिवृत्त हो गये है। अतः जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित मासिक अनुबंध पर एक टवेरा/इनोवा/स्कार्पियो/सफारी इत्यादि वाहन संस्था द्वारा अनुबंध किये जाने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया।
18.5.4	संस्था के IDP के अनुमोदन का प्रस्ताव:- संस्था का Institutional Development Plan एक दीर्घ कालीन योजना है और इसका उल्लेख TEQIP - III के MOU किया गया है। IDP के अनुमोदन का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (Annexure-IV)	अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने IDP के अवलोकन पश्चात् प्रस्ताव अनुमोदित किया।
18.5.5	TEQIP - III प्लान लेने का प्रस्ताव :- म.प्र.शासन के निर्देशानुसार संस्था के विकास एवं फेकल्टी डेवलपमेंट हेतु TEQIP - III प्लान लेने का प्रस्ताव है। उक्त योजनांतर्गत जो राशि प्राप्त होगी, वह ग्रांट के रूप में संस्था को प्राप्त होगी। NPIU के निर्देशानुसार उक्त ग्रांट का TEQIP - III के नियमानुसार व्यय की जावेगी। प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (Annexure-V)	अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

18.5.6	TEQIP - III के संचालन हेतु MHRD के निर्देशानुसार BOG के गठन का प्रस्ताव :- भारत सरकार MHRD के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 16-2/2017-TS VII दिनांक 10/01/2018 के निर्देशानुसार टेक्यूप - III के सफल संचालन हेतु BOG का गठन किया जाना है। तत्संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत है। (Annexure-VI)	अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया।
18.5.7	डिजाइन सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव:- टेक्यूप - III के अंतर्गत संचालनालय के पत्र क्रमांक./5/यो/2017/1441 दिनांक 15/09/2017 के निर्देशानुसार संस्था में डिजाइन सेंटर की स्थापना की जाना है। इसके लिए एनेक्सर में उल्लेखित साफ्टवेयर एवं अन्य उपकरणों के कय करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। टेक्यूप - III के अंतर्गत लगभग रु. 10 करोड़ स्वीकृत हुए हैं, जिसमें प्रयोगशालाओं के उपकरणों एवं साफ्टवेयर के लिए रु. 6 करोड़ स्वीकृत है। उक्त रु. 6 करोड़ में से रु. 3 करोड़ डिजाइन सेंटर में व्यय संभावित है। तत् संबंध में तत्कालीन प्राचार्य ने माननीय अध्यक्ष महोदय से नोटशीट पर अनुमोदन प्राप्त किया है। नोटशीट अवलोकनार्थ संलग्न है। उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (Annexure-VII)	वर्तमान में महाविद्यालय में संलग्न 500 पाठ में विश्वविद्यालय के पाठ्य-क्रम में आ. डिजाइन सेंटर की आवश्यकता है। अतः इस प्रस्ताव को स्वीकृत तथा स्थापित करना जाना
18.5.8	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती का प्रस्ताव :- म.प्र. शासन के नियमानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पिछले तीन वर्षों में लगभग 25-30 कर्मचारी अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्त हो गये हैं। जिससे संस्था में कर्मचारियों की अत्यंत कमी हो गयी है। अतः यह प्रस्तावित है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों का व्यापम के माध्यम से अबिलम्ब भरा जावे। माननीय सदस्यों का अनुमोदन हो तो व्यापम को तदनानुसार पत्र भेजकर शासी निकाय में भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है। प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया।
18.5.9	संविदा पर नव नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को गृह भाडा भत्तों का प्रस्ताव:- सेवा भर्ती नियम 2004 के तहत नव नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को वर्तमान में म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11-12/2010/नियम/4 भोपाल दिनांक 1 सितम्बर 2012 की कंडिका 3 (ग) के निर्देशानुसार गृह भाडा भत्ता नहीं दिया जा रहा है। उक्त नव नियुक्त सहायक प्राध्यापकों का संविदा अवधि समाप्त होने पर ही गृह भाडा भत्ता स्वीकृत किया जा रहा है। सहायक प्राध्यापकों की मांग पर संचालक तकनीकी शिक्षा म.प्र. भोपाल के संलग्न निर्देशानुसार उक्त नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों को संविदा अवधि में गृह भाडा स्वीकृत करने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (Annexure-VIII)	अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया।
18.5.10	Table 18.4 (A) एवं टेबिल C के बिन्दु क्रमांक A के अनुसार भवन निर्माण, मरम्मत एवं रिफर्निशमेंट मद के रु.81.19 लाख के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	समय-सीमा निश्चित कर कार्य कराने के निर्देश के साथ प्रस्ताव मान्य किया गया। सिविल विभाग के मार्गदर्शन/निगरानी में कार्य

क्र.	स्थल का नाम	अनुमानित कीमत लाख में	रिमांक
1	पुराना कन्या छात्रावास छत मरम्मत कार्य	06.71	एस्टीमेट संलग्न (Annexure-IX)
2	छात्रावास/मुख्य भवन/आवासीय भवनों की मरम्मत, रंगाई, पुताई	26.68	
3	मुख्य भवन में एल्यूमिनियम पार्टीशन एवं फाल्स सीलिंग	5.63	
4	कालेज कैम्पस में पार्किंग शेड एवं मोटर साइकिल मरम्मत कार्य	16.55	
5	भवनों के लेट बाथ का रेनोवेशन कार्य	13.47	
6	कालेज कैम्पस के बाउंड्रीवाल मरम्मत	6.41	
7	विद्युत मरम्मत कार्य हेतु मटेरियल	5.00	
	अन्य कार्य	0.74	
	योग	81.19	

संपादन विवरण /

क्र.	विभाग का नाम	उपकरण/मरम्मत	अनुमानित कीमत लाख में	रिमांक
1	मैकेलिकल विभाग	Lab Equipments Desktop Computer, AC etc.	10.00	विस्तृत प्रस्ताव संलग्न (Annexure-X)
2	इलेक्ट्रिकल विभाग	Lab Equipments & other materials etc.	15.00	
3	इलेक्ट्रानिक्स विभाग	Lab Equipments for E&C Department Desktop Computer, Laptop, Stabilizer, UPS, Printer, AC etc.	15.00	
4	ई लर्निंग सेंटर	Printer	00.25	
5	अन्य विभाग (आई. टी. लेग्येज लेब, सिविल, भौतिक, रसायन, गणित, कार्यालय)	Lab Equipments for civil Engg. Department Desktop	40.94	

Table 18.4 (A) एवं टेबिल C के बिन्दु क्रमांक B में अंकित उपकरणों का कय एवं उन्नयन, मरम्मत एवं कैलीब्रेशन मद रु.81.19 लाख के विरुद्ध कय के प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया एवं विभागों के विभिन्न उपकरणों की सूची संलग्न करने हेतु निर्देशित किया गया। तदनुसार सूची संलग्न है। (Annexure-X (A))

18.5.11

(Handwritten signatures and marks)

	Computer, Laptop, Stabilizer, UPS, Printer, AC, CC, TV, Camera etc.	81.19	
गोम			

सलन Table 18.4 (A) एवं टेबिल C के बिन्दु क्रमांक C में अंकित स्मार्ट क्लास रूम, लायब्रेरी, कर्मीवर का कय एवं मरमल मद रु.81.19 लाख के बिरुद कय के प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

क्र / बिभाग का नाम	उपकरण/मरमल	अनुमानित कीमत रु
1	भूकैबिल बिभाग Class & Lab Furniture Desktop Computer, AC etc.	15,000
2	इलेक्ट्रिकल बिभाग Class & Lab Furniture Desktop Computer, AC etc.	15,000
3	इलेक्ट्रिकल बिभाग Class & Lab Furniture Desktop Computer, Laptop, Stabilizer, UPS, Printer, N/W Equipments, AC etc.	15,000
4	लायब्रेरी इसके अलावा, अलगही एवं आरंभिक कय इत्यादि।	10,000
5	अन्य बिभाग / कार्यालय/ Furniture, Desktop Computer, Laptop, Stabilizer, UPS, Printer, AC, CC TV Camera etc.	26,190
योग		81,190

18.5.12

सलन Table 18.4 (A) एवं टेबिल C के बिन्दु क्रमांक D में अंकित सरथागत व्यवस्थाएं यथा-सुरक्षा, सफाई, जल, स्वास्थ्य, प्रकाश, एवं आडिट मद रु.48.71 लाख के बिरुद कय के प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

A- **सरथा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का वार्षिक ठेका देने का प्रस्ताव:-** संस्था की सुरक्षा व्यवस्था विगत वर्ष 16-17 में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा संतोष जनक रूप से समाहित की गयी है, अतः इस वर्ष भी 14 सुरक्षा गार्ड एवं एक सुपरवाइजर डी.जी.आर. द्वारा नियमित दरों पर संस्था का सुरक्षा कार्य कराये जाने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। उक्त कार्य में अनुमानित व्यय रु. 43,44 होना समाहित है। उक्त व्यय Table 18.4 (A) टेबिल C के बिन्दु क्रमांक D में अंकित राशि रु. 48,71 के बिरुद विकलित करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत है। [Annexure-XI]

B- **सरथा परिसर की सफाई व्यवस्था वार्षिक अनुबंध पर कराये जाने का प्रस्ताव:-** संस्था परिसर की साफ सफाई व्यवस्था हेतु निम्नित शर्तों के अनुसार सविदा श्रमिकों से

18.5.13

अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया एवं निर्देशित किया गया कि सुरक्षा एवं सफाई का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें। (Annexure-XI (A)), (Annexure-XI (B)), (Annexure-XI (C))

Prin

✓

17


	<p>साफ-सफाई कराये जाने का प्रस्ताव है, जिसमें रु. सात लाख बारह हजार वार्षिक राशि व्यय होना संभावित है। उपरोक्त व्यय के प्रस्ताव में रु.4.71 Table 18.4 (A) टेबिल C के बिन्दु कमांक D में अंकित राशि रु. 48.71 के विरुद्ध एवं रु. 2.41 की व्यवस्था Table 18.4 (A) टेबिल C के बिन्दु कमांक G में अंकित अन्य आकस्मिक व्यय मद रु.16.25 से स्थानांतरित कर की जावेगी। प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (Annexure-XI)</p> <p>C- संस्था परिसर में विद्युत रखरखाव/मरम्मत कार्य को वार्षिक ठेका पर देने का प्रस्ताव:- संस्था परिसर के विद्युत रखरखाव/मरम्मत कार्य के लिए वार्षिक ठेका निविदा आमंत्रित कर नियमानुसार न्यूनतम दरों पर दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य में अनुमानित रु. 3 लाख वार्षिक व्यय संभावित है। उपरोक्त राशि की व्यवस्था Table 18.4 (A) एवं टेबिल C के बिन्दु कमांक G में अंकित अन्य आकस्मिक व्यय मद रु.16.25 के विरुद्ध की जावेगी। प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (Annexure-XII)</p>	
18.5.14	<p>संलग्न Table 18.4 (A) एवं टेबिल C के बिन्दु कमांक E में अंकित गेस्ट/संविदा फेकल्टी, एक्सपट लेक्चरर मद रु.48.71 लाख के विरुद्ध व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया।</p>
18.5.15	<p>संलग्न Table 18.4 (A) एवं टेबिल C के बिन्दु कमांक F में अंकित शिक्षकों एवं छात्रों के प्रशिक्षण एवं छात्रों के प्लेसमेंट मद में रु.48.71 लाख व्यय प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया।</p>
18.5.16	<p>संलग्न Table 18.4 (A) एवं टेबिल C के बिन्दु कमांक G में अंकित अन्य आकस्मिक व्यय मद रु.16.25 लाख के विरुद्ध व्यय होने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</p>	<p>अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया।</p>
18.5.17	<p>संस्था के पुस्तकालय के ऑटोमेशन का प्रस्ताव:- संस्था के पुस्तकालय में नई-पुरानी लगभग 30,000 पुस्तकें हैं। इसके डिजिटाइजेशन एवं ऑटोमेशन के लिए क्रिस्प भोपाल से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसके तहत सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एवं कस्टमाइजेशन के लिए रु. 30000 एवं पुस्तकों की बारकोड एण्ट्री के लिए 12 रुपये प्रति पुस्तक (GST Extra) का प्रस्ताव है। जिसमें लगभग 05 लाख रुपये व्यय अनुमानित है। इसके अतिरिक्त आन साइट मेनपॉवर सपोर्ट के लिए रु. 35000 प्रतिमाह का व्यय प्रस्तावित है। उपरोक्तानुसार क्रिस्प भोपाल का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (Annexure-XIII)</p>	<p>अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया।</p>








	छात्रावास, परिसर कार्यस्थल, पार्किंग एवं कक्षाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाया जाना प्रस्तावित है। संस्था परिसर लगभग 220 एकड़ में फैला हुआ है अतः महत्वपूर्ण स्थानों का चयनकर लगभग 200 कैमरे लगाये जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य में अनुमानित रू. 30 लाख व्यय होना संभावित है। उक्त राशि Table 18.4 (A) एवं टेबिल C के बिन्दु क्रमांक B में अंकित उपकरणों का क्रय एवं उन्नयन, मरम्मत एवं कैलीब्रेशन मद रू.81.19 लाख के विरुद्ध विकलनीय होगी। प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (Annexure-XVII)	
18.5.22	अन्य प्रस्ताव :- माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव:- संस्था में 3300 पौधों के रोपण का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस कार्य के सम्पादन में राशि रू.प्ये 600,000/- (अंकन छः लाख मात्र) व्यय होना अनुमानित है। उपरोक्त राशि का व्यय आकस्मिक मद्द से विकलनीय होगा।	अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों ने चर्चा कर प्रस्ताव मान्य किया।


 प्राचार्य/सचिव
 इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
 सागर,

 18/11/22
 

